न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 32/2020
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00233

अपीलाण्ट्स :-
प्रकाश पुत्र श्री मनाजी के कायम मुकाम :-

1. अतिया पत्नी स्व. श्री प्रकाश,
2. सुरेश पुत्र स्व. श्री प्रकाश, निवासी नया गांव, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. केलम पुत्री स्व. श्री प्रकाश पत्नी अशोक बंजारा, निवासी 421, जगदम्बा कॉलोनी, पाली
4. सुगना पुत्री स्व. श्री प्रकाश पत्नी श्री प्रकाश, निवासी 17, भाटों का बास, आकेली तहसील पाली जिला पाली
5. आशादेवी पुत्री स्व. श्री प्रकाश, निवासी 17, भाटों का बास, आकेली तहसील पाली
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री प्रकाश, निवासी नया गांव, पाली तहसील पाली जिला पाली
7. दिनेश पुत्र स्व. श्री प्रकाश, निवासी नया गांव, जिला पाली
8. श्रवण पुत्र स्व. प्रकाश, निवासी नया गांव, तहसील पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-

1. मृत काना पुत्र मनीया के कायम मुकाम :-
   1/1. गंगादेवी पत्नी काना
   1/2. लक्ष्मण पुत्र काना
   1/3. राहुल पुत्र काना
   1/4. सरदार पुत्र काना
   1/5. मंगलाराम पुत्र काना
   1/6. प्रहलाद पुत्र काना
   1/7. भंवरलाल पुत्र काना
   1/8. छगनलाल पुत्र कानिया
   1/9. देवी पुत्री काना पत्नी सोहन, जातिगण भाट, निवासीगण बंजारों की ढ़ाणी, नया गांव, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. मृत लाखा पुत्र मना के कायम मुकाम
   2/1. दिनेश पुत्र लाखा
   2/2. सेरिया पुत्री लाखा पत्नी श्री छगन, जातिगण भाट, निवासीगण जगदम्बा कॉलोनी, नया गांव, पाली तहसील पाली जिला पाली
   2/3.समिया पुत्री लाखा पत्नी श्री मूलाराम जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील पाली जिला पाली
   2/4. काली पुत्री लाखा पत्नी रमेश जाति भाट, निवासी आकेली, तहसील पाली जिला पाली (राज)
   2/5. धापु पुत्री लाखा पत्नी महेन्द्र, जाति भाट, निवासी आकेली तहसील पाली जिला पाली
   2/6. गेनी पुत्री लाखा पत्नी महेन्द्र, जाति भाट, निवासी मकान संख्या के.के. कॉलोनी, जोधपुर, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर (राज.)
3. बलदेव पुत्र मना
4. नेनाराम पुत्र मना, जातिगण भाट, निवासीगण बंजारों की ढ़ाणी, नया गांव, तहसील पाली, जिला पाली
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी

=:: निर्णय ::—

दिनांक :— 18.06.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 12.01.1983 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी वक्त बहस उपस्थित रहे। रेस्पोडेण्ट्स बाद तामील वक्त बहस वकालतन एवं असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहे। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता मना पुत्र मेहराम के नाम से गांव उतवण, पटवार हल्का बोमादड़ा, तहसील पाली की सरहद स्थित खसरा संख्या 521 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 523 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा व खसरा संख्या 578 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरान् 03 कुल रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि स्थित है। अपीलाण्ट के पिता मना पुत्र मेहराम का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जिसमें रेस्पो. संख्या 01 से लगायत 04 का नाम सही अंकित कर दिया है लेकिन अपीलाण्ट का सही नाम "प्रकाश" के स्थान पर "प्रसाद" गलत दर्ज कर दिया जिससे जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि उस का वास्तविक नाम प्रकाश है जबकि जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय गलती से अपीलाण्ट का नाम प्रसाद दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से प्रथम–दृष्ट्या उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि प्रकाश एवं प्रसाद एक ही व्यक्ति है एवं तद्नुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.07.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **18.06.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली